



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :- 76/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(अपीलांट)

बनाम

भारतीय गैस प्राधिकरण (LPG) गैस पाईप लाईन परियोजना, कोटा जयें मुख्य प्रबन्धक (रिस्पोंडेन्ट)

अपील विरुद्ध इंतकाल नम्बर 261 ग्राम मण्डोला तहसील बारां

अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार

(अपीलांट)

2- श्री पद्म कुमार जैन, गुना (म.प्र.)

(रिस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 20.04.2018

डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत राजस्थान सरकार का पक्ष प्रभावित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोला की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता नंबर 722 पर किता 69 रकबा 6.95 है। भूमि भारतीय गैस प्राधिकरण (LPG) गैस पाईप लाईन परियोजना, कोटा के नाम नामान्तरकरण नंबर 261 से दर्ज हुई है। प्रकरण में खातेदारान के हित प्रभावित नहीं होने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। संलग्न अनुसूची में अंकित खसरा नंबर किता 75 में से खसरा नंबर 389 के खातेदारान द्वारा सक्षम न्यायालय में व्यक्तिगत वाद दायर कर वापस भूमि उनके खाते में दर्ज करवा ली है जिनकी पुष्टि हेतु नामान्तरकरण नंबर 1314 व नकल जमाबन्दी खाता संख्या 296 संवत् 2070-73 संलग्न है। तथा खसरा नंबर 1625, 1629, 378, 8, 383 में से अवाप्तशुदा रकबा आधा एयर से भी कम होने के कारण नामान्तरकरण नंबर 261 स्वीकृत होने के बाद नवीन जमाबन्दी में अमल नहीं हो सका। उक्त पांचों खसरा नंबरान की भूमियां पूर्ववत खातेदारान के नाम ही दर्ज चली आ रही हैं। तथा इन खसरा नंबरान में जमाबन्दी के कैफियत कॉलम में गैल इण्डिया द्वारा भूमि उपयोग करने के अधिकार सम्बन्धी नोट अंकित है। भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 456 दिनांक 14.01.1985 द्वारा ग्राम मण्डोला के खसरा नंबर किता 75 में गैल इण्डिया लि. को भूमि उपयोग का अधिकार दिया गया था। गैल इण्डिया से प्राप्त पत्रावली में संलग्न पत्र प्रकरण संख्या 47/84 दिनांक 22.10.1984 अनुसार परिशिष्ट 'क' में अंकित खसरा नंबरान पर राजस्व अभिलेख में "भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन" से सम्बन्धित प्रविष्टि करने के लिये लिखा गया था, ना कि नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुये भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज करने को। इस बात की पुष्टि गैल इण्डिया के पत्र दिनांक 10.11.2005 से भी होती है। तत्समय सहवन से उक्त आदेश के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुये भूमि गैल इण्डिया के नाम दर्ज कर दी गई जबकि जमाबन्दी के विशेष विवरण के कॉलम में उक्त आशय का नोट अंकित किया जाना चाहिये था। डीआईएलआरएमपी योजना के तहत डिजीटल मेप में प्रत्येक खसरा नंबर की तरमीम की जानी है। नियमानुसार तरमीम मौके अनुसार की जाती है। मौके पर पाईप लाईन भूमिगत निकल रही है। इस कारण मौके पर पाईप लाईन नहीं दिखने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती। अतः उक्त नामान्तरकरण का खारिज होना, भूमि पूर्ववत खातेदारान के नाम दर्ज होना तथा खसरा नंबरान में गैल इण्डिया द्वारा भूमि उपयोग में लेने का विशेष विवरण के कॉलम में नोट लगना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से वरिष्ठ प्रबन्धक, गेल इण्डिया लिमिटेड, विजयपुर एवं उनके अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोंडेन्ट की ओर से जय अभिभाषक लिखित निवेदन इस आशय का पेश हुआ कि गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर को जो भूमि सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 0.045 है। ग्राम मण्डोला की प्राप्त हुई है, उस पर और उसके क्षेत्रफल पर गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर का नाम स्वामी के रूप में अंकित होना है, इस संबंध में जिला कलक्टर, महोदय, बारां का आदेश दिनांक 13.06.2006 की प्रति संलग्न पेश है। भूमि सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 0.0458 है। पर वर्तमान में गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर का नाम भूमि स्वामी के खाते में स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें और शेष 74 कृषकों के सर्वे नंबरों पर गेल इण्डिया लिमिटेड के उपयोग का अधिकार जमाबन्दी के अंतिम कॉलम में अंकित किये जाने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अपीलांट के प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना, भूमि पूर्ववत खातेदारान के नाम दर्ज होना तथा खसरा नंबरान में गैल इण्डिया द्वारा भूमि उपयोग में लेने का विशेष विवरण के कॉलम में नोट लगाये जाने हेतु अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। रेस्पोंडेन्ट के प्रतिनिधि एवं अभिभाषक ने प्रस्तुत लिखित निवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर को जो भूमि सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 0.045 है। ग्राम मण्डोला की प्राप्त हुई है, उस पर और उसके क्षेत्रफल पर गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर का नाम स्वामी के रूप में अंकित होना है, इस संबंध में जिला कलक्टर, महोदय, बारां का आदेश दिनांक 13.06.2006 की प्रति संलग्न पेश है। भूमि सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 0.0458 है। पर वर्तमान में गेल इण्डिया लिमिटेड विजयपुर का नाम भूमि स्वामी के खाते में स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें और शेष 74 कृषकों के सर्वे नंबरों पर गेल इण्डिया लिमिटेड के उपयोग का अधिकार जमाबन्दी के अंतिम कॉलम में अंकित किये जाने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मण्डोला का नामान्तरकरण संख्या 261 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, कोटा के प्रकरण संख्या 47/84 दिनांक 22.10.1984 में पारित अवार्ड आदेश दिनांक 25.11.1987 की पालना की जावे तथा ग्राम मण्डोला में स्थित एस. वी. स्टेशन हेतु अवाप्त भूमि 15x30 मीटर भूमि गेल इण्डिया लिमिटेड के खाते बदस्तूर दर्ज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां (राज.)